छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय, 6वीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल काम्प्लेक्स, सी.बी.डी., सेक्टर 21, नवा रायपुर अटल नगर
E-mail : fertilizer880@yahoo.in, mf_ctrlroom_raipur@gov.in Website : www.markfed.cg.nic.in

अमानक उर्वरक विक्रय प्रक्रिया एवं प्रदाय शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. विपणन संघ में भण्डारित अमानक उर्वरक का विक्रय केवल उर्वरकों का मिश्रण या उर्वरक का विशेष मिश्रण तैयार करने वाले उत्पादकों, आयातकों या शासकीय अनुसंधान फार्मों या विश्वविद्यालयों अथवा इसी प्रकार के अन्य निकायों को (उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत अधिसूचित) को ही किया जाएगा।
2. उर्वरक उठाव की प्रक्रिया हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग फीस 3000/– (तीन हजार रूपये) है, जो केवल गैर शासकीय/निजी संस्था द्वारा देय होगी। शासकीय विभागों द्वारा कोई प्रोसेसिंग फीस देय नहीं होगी।
3. प्रोसेसिंग फीस किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
4. उर्वरक क्रेता संबंधित जिले के जिला विपणन अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर संबंधित स्थान/उर्वरक के लिये नियमानुसार अग्रिम डीडी (जो संबंधित जिला कार्यालय के नाम से देय होगा) जमा कर क्रय करने की कार्यवाही कर सकते हैं।
5. शासकीय विभाग/संस्था द्वारा अमानक खाद की निर्धारित राशि जमा करने पर तीन दिवस के भीतर खाद प्रदाय कर दिया जावेगा।
6. गैर शासकीय विभाग/संस्था द्वारा अमानक उर्वरक का उठाव नियमानुसार अग्रिम राशि जमा करने के 15 दिवस के भीतर किया जा सकेगा।
7. विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अन्तिम होगा।

::प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित::

महाप्रबंधक(कृ.सा.)